राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1872/2007/झुन्झुनूँ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
उडनदस्ता–द्वितीय,जोधपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स आर.के.ट्रेडिंग कम्पनी
झुन्झुनूँ — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 25.08.2014

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–द्वितीय,जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 316/आरवैट/झुन्झुनूँ/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.11.2006 को ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान रायलाना चौराहा सुरसागर रोड पर लोडिंग टैक्सी संख्या आर जे–19–1जी–0578 को रूकवा कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चेक किया गया। उक्त वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांग जाने पर टैक्सी चालक श्री मोहम्मद शफी ने मैसर्स आर.के.ट्रेडिंग कम्पनी मुख्यालय,झुन्झुनूँ व शाखा जोधपुर का डिलीवरी मीमो संख्या 4 दिनांक 20.11.2006 प्रस्तुत किया। प्रस्तुत मीमों में माल का विवरण पी वी सी वायर बण्डल नग 17 तथा अनुमानित कीमत रू. 50,000/–अंकित थी। प्रस्तुत मीमो में माल की कर देयता आदि के बारे में कोई अंकन नहीं होने से वाहन चालक के बयान कलमबद्ध किये जाकर वाहन को राजस्थान मूँल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (5)(ए) के अन्तर्गत जांच हेतु रोका गया तत्पश्चात दिनांक 21.11.2006 कोमाल अनलोड किया गया जिसमें निम्न माल होना पाया गयाः–

1.मार्का ईई/8–जेपीपी के आई कारटन पी वी सी इनसुलेटैड वाइडिंग वायर

2.मार्का एएनजेएलआई/6–जेपीपी के 6 बण्डल कॉयल

3.मार्का ईएन/3जेपीपी के 3 बण्डल केबल

जबकि डिलीवरी मीमो संख्या 4 में माल का विवरण मात्र पी वी सी वायर कीमत रू. 50,000/–लिखा हुआ पाया गया । कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार अनलोड

किये गये माल की कीमत 2,62,125/–अनुमानित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त चेकिंग प्रस्तुत डिलीवरी चालान में माल के विवरण एवं मूल्य के बारे में मिथ्या घोषणा किया जाना पाये जाने पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मानते हुए माल मालिक/व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर 6 मण्डल मार्का एनजेएसयू/ 6–जेपीपी–कॉपर के माल तारवाली कॉयल के सम्बन्ध में मिथ्या घोषणा कर परिवहनित किया जाना मानकर कर उसकी कीमत रू. 67,000/–पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 20,160/–आरोपत की है। जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2007 पारित किया। उक्त अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2007 से क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये डि लीवरी चालान एवं भौतिक सत्यापन पर 6 मण्डल मार्का एनजेएसयू/ 6–जेपीपी–कॉपर के माल तारवाली कॉयल के सम्बन्ध में मिथ्या घोषणा कर माल का परिवहनित किया पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अघोषित पाये गये माल कीमत रू. 67,000/–पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 20,160/–आरोपित की है, जा पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित वक्त जांच प्रस्तुत किये गये डिलीवरी चालान संख्या 4 एवं बाद में प्रस्तुत किये गये डिलीवरी चालान संख्या 5 तथा भौतिक सत्यापन पर पाये गये का मिलान करने पर 6 बण्डल मार्का एनजेएसयू/ 6–जेपीपी–कॉपर के माल तारवाली कॉयल अघोषित पाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश दिनांक 1.12.2006 पारित किया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुए तथ्यों का विस्तृत वर्णन नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है,जिसे ना तो उचित कहा जा सकता है और ना ही स्पीकिंग आदेश कहा जा सकता है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ माल से सम्बन्धित दस्तावेज नही होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 20,160/–आरोपित की है,जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग

वहनित माल के सम्बन्ध में डिलीवरी चालान संख्या 4 प्रस्तुत किया गया,जिसकी जांच उसमें कर देयता के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण नहीं होने के कारण माल को अनलोड कर भौतिक सत्यापन पर पाया गया कि 6 बण्डल मार्का एनजेएसयू/ 6–जेपीपी–कॉपर के माल तारवाली कॉयल अघोषित पाये जाने पर उसकी कीमत रू. 67,200/–अनुमानित करते हुए तीस प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 20,120/–आरोपित की गई,जो उचित है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त जांच पाये गये माल एवं दस्तावेजों में अंकित तथा भौतिक सत्यापन पर पाये गये का पूर्ण वर्णन करते हुए अघोषित पाये गये माल पर शास्ति आरोपित की है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने माल के सम्बन्ध में कोई विवरण दिये ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार वक्त जांच परिवहनित माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा डिलीवरी मैमो संख्या 4 प्रस्तुत किया गया,जिसमें पी वी सी वायर बण्डल नग 17 अनुमानित कीमत रू. 50,000/–अंकित है तथा वाहन संख्या आरजे–19–1जी–758 अंकित है, किन्तु उसमें कर देयता के सम्बन्ध में अंकन नही होने से माल को अनलोड कर माल का भौतिक सत्यापन करने पर कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार 6 बण्डल मार्का एनजेएसयू/ 6–जेपीपी–कॉपर के माल तारवाली कॉयल अघोषित पाये जाने पर उसकी कीमत रू. 67,200/–अनुमानित करते हुए तीस प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 20,120/–आरोपित की गई है।

उक्त तथ्यों के निष्पादन हेतु पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि नोटिस की पालना में जब्त शुदा माल छोडने के सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ मैसर्स आर.के.ट्रेडिंग,झुन्झुनू ब्रांच आफिस का रिटेल चालान संख्या 5 दिनांक 19.11.2006 एवं वैट इनवाईस संख्या 3 दिनांक 16.11.2006 प्रस्तुत किये गये हैं,जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 19 एवं 20 पर उपलब्ध है,जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि भौतिक सत्यापन पर पाया गया माल उक्त दस्तावेजों में अंकित था वैट इनवाईस में माल की कीमत रू. 2,40,000/– एवं कर राशि रू. 9,600/– कुल राशि रू. 2,49,600/–अंकित है, जिनको किसी भी जांच के द्वारा असत्य अथवा फजी या दोषी मनोभाव से तैयार करना प्रमाणित नहीं किया गया है, जिससे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को विधिक नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया

है, जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है। फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य